न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 45/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/90
दायर दिनांक :— 10.03.2025 निर्णय दिनांक :— 10.05.2025

1. रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह जाति माली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादिनी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता वादिनी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादिनी की खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1898/3 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2078—2081 संलग्न वाद पेश है। वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा वादिनी का नाम अपनी मनमर्जी से रूखमणी पुत्री नरसींगदास दर्ज कर दिया जबकि वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह है तथा इसी नाम से ही वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि बने हुवे है तथा वादिनी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादिनी का नाम रूखमणी पुत्री नरसीगदास दर्ज होने से वादिनी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 20.02.2025 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादिनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादिनी ग्राम बाप के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम रूखमणी पुत्री नरसींगदास के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह के नाम खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम बाप के

10/5/25

सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

खसरा नम्बर 1898/3 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में वादिनी का नाम रूखमणी पुत्री नरसींगदास दर्ज है जबकि वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड इत्यादि में रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह के नाम से बने हुवे है। इसलिये वादिनी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वादिनी को रूखमणी पुत्री नरसीगदास के स्थान पर रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2078–2081 ग्राम बाप पटवार हल्का बाप के खसरा नम्बर 1898/3 रकबा 0.4047 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व रेकर्ड में रूखमणी पुत्री नरसींगदास दर्ज है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह है। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार हल्का बाप के खसरा नम्बर 1898/3 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम रूखमणी पुत्री नरसींगदास के स्थान पर रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/5/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह जाति माली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 45/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर मोहम्मद रफीक मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बाप पटवार हल्का बाप के खसरा नम्बर 1898/3 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम रूखमणी पुत्री नरसींगदास के स्थान पर रूखमणी देवी पत्नी भगवानसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2025 को जारी की गई।

10/5/25

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2025	अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय फलोदी के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। 10/5/25 सदस्य सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 05 सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) 10/05/25 अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 05	